न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/2018

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गौतम पुत्र चिमनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14 श्रीकरणपुर।	1. ऋषि आहुजा पुत्र चिमनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. ललित कुमार पुत्र जगदीश राय जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 7 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. विद्या रानी पत्नी विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलजीत शर्मा पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. दलजीत शर्मा पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. नसीब कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. लखविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 27.04.2018

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

--निर्णय-- दिनांकः 20.09.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.314 हेक्टैयर भूमि में से 0.664 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपर्युक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। लेकिन खाता के समस्त खातेदारों ने वाहमी तौर पर इसका बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादी को मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 10/2 की 0.158 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11, 12 सालम-सालम बारानी कुल 0.664 हैक्टेयर प्राप्त हुए है। वादाधीन खाता का विधि अनुसार किला वाईज विभाजन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। वादी ने सहखातेदारो को खाता विभाजन के लिए कहा तो आजकल-आजकल कह कर टाल-मटोल करते रहे तथा आज से 10 रोज पूर्व साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वाद-पत्र पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के भीतर पेश किया जा रहा है। अतः वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 10/2 की 0.158 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11, 12 सालम-सालम बारानी कुल 0.664 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किये जाने के आदेश फरमावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 की तलवी दैनिक अखबार प्रकाशन के जरिए करवाए जाने के बाद उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बन्द है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बन्द है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.314 हेक्टैयर भूमि में से 0.664 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्सा में 0.664 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.314 हेक्टैयर भूमि में से वादी के हिस्सा में 0.664 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गौतम पुत्र चिमनलाल जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 14 श्रीकरणपुर।(0.664 हैक्टेयर)	12 ओ	48	10/2 11 12	0.158 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी बारानी बारानी	1.41 1.10 1.10

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर